

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०-०८/२०२२

रामायण साह.....वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
24.01.2024	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं०-०४ की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 29.08.2023 अंतर्गत धारा ०५ भारतीय परिसीमा अधिनियम के आदेश हेतु नियत है।</p> <p>आदेश (ORDER)</p> <p>प्रतिवादी सं०-०४ की ओर से अपने आवेदन दिनांक 29.08.2023 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं०-०४ दिनांक 12.01.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुये तथा बयान तहरीरी निर्धारित समयावधि में दाखिल नहीं किये तथा बयान तहरीरी दाखिल न करने के कारण दिनांक 03.05.2023 को प्रतिवादी सं०-०४ को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं०-०४ बयान तहरीरी दाखिल कर संघर्ष करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दिनांक 03.05.2023 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादी सं०-०४ का बयान तहरीरी स्वीकार कर इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अगर प्रतिवादी सं०-०४ को इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तो प्रतिवादी सं०-०४ को अपूर्ण्य क्षति होगी।</p> <p>वादी की ओर से प्रतिवादी सं०-०४ के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं०-०४ को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नहीं किये है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं०-०४ दिनांक 12.01.2023 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 03.05.2023 को प्रतिवादी सं०-०४ की ओर से बयान तहरीरी समय से दाखिल न करने के कारण बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित</p>	

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०-०८/२०२२

रामायण साह.....वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 24.01.2024</p>	<p>सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं०-०४ को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं०-०४ काफी समय के बाद दिनांक ०३.०५.२०२३ को न्यायालय में अपना बयान तहरीरी दाखिल की है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं०-०४ का आवेदन मो०-१०००/- (एक हजार) रुपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक ०३.०५.२०२३ के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं०-०४ की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है।</p> <p>आगामी दिनांक १२.०२.२०२४ वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p>लेखापित</p> <p>अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज</p>	
------------------------------	--	--